छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 8861 / छगविस / सम्मे / C-205(C) / 2025 रायपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2025

/ / स्मृति चिन्ह हेतु निविदा आमंत्रण / /

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के उपयोगार्थ विधान सभा सचिवालय द्वारा स्वीकृत डिजाईन एवं नमूने के अनुरूप 24 कैरेट गोल्ड फॉइल से निर्मित लगभग 140 नग स्मृति चिन्ह तैयार कर प्रदाय करने हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी फर्म से मुहरबंद निविदा सोमवार, दिनांक 04 अगस्त, 2025 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा की विस्तृत शर्तें एवं विधान सभा सचिवालय द्वारा स्मृति चिन्ह की स्वीकृत डिजाईन व नमूने का अवलोकन, निविदाकार द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय स्थित कक्ष क्र. बी–41 'सम्मेलन शाखा' से कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक राशि रूपये 1,000 / – (अक्षरी – एक हजार मात्र) भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा। निविदा की विस्तृत शर्तें तथा निविदा प्रपत्र विधान सभा की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है, किन्तु ऐसी स्थिति में दर प्रस्ताव जमा किये जाने से पूर्व रूपये 1,000 / – का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

संचालक
छत्तीसगढ़ विधान सभा

स्मृति चिन्ह हेतु दर प्रस्ताव

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **स्मृति चिन्ह के प्रदाय हेतु दर का प्रस्ताव ।**
संदर्भ :– छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना क्रमांक 8861/छगविस/सम्मे./C-205(C)/2025 दिनांक 02 जुलाई, 2025।

––00––

उपरोक्त संदर्भित निविदा के परिप्रेक्ष्य में फर्म की जानकारी एवं निविदा शर्तों में अंकित डिजाईन के अनुरूप स्मृति चिन्ह के दर का प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

1. प्रस्ताव करने वाले फर्म का नाम एवं पता मोबाइल नम्बर सहित –
2. ई–मेल –
3. वाट्सअप नम्बर –
4. फर्म के प्रोप्राइटर का नाम एवं पता –
5. स्मृति चिन्ह अथवा अन्य डिजाइन का अनुभव –
6. स्मृति चिन्ह के नमूने में प्रयुक्त होने वाली धातु एवं सामग्री का विवरण। –
7. 24 कैरेट गोल्ड फॉईल से निर्मित स्मृति चिन्ह हेतु दर
   (अंकों में) –
   (शब्दों में) –

भवदीय,

फर्म का नाम तथा हस्ताक्षर
एवं मोबाइल नंबर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

निविदा की शर्तें

विषय :– छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के उपयोगार्थ 'स्मृति चिन्ह' तैयार कर प्रदाय करने का कार्य ।

1. निविदा प्रपत्र भरने संबंधी निर्देश :–

1.1 छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, बलौदा बाजार रोड़, रायपुर (छ.ग.) के कक्ष क्रमांक बी–41 ''सम्मेलन शाखा'' से कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक राशि रूपये 1,000/– (अक्षरी– एक हजार मात्र) जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त की जा सकती है।

1.2 निविदा की विस्तृत शर्तें तथा निविदा प्रपत्र विधान सभा की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है, किन्तु ऐसी स्थिति में दर प्रस्ताव जमा किये जाने से पूर्व रूपये 1,000/– का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

1.3 पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 04 अगस्त, 2025 को अपरान्ह 03:00 बजे तक होगी।

1.4 निविदाकार से अपेक्षित है कि निविदा प्रपत्र जमा करने के पूर्व, निविदा संबंधी समस्त शर्तों को अवश्य पढ़ लें। त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट एवं भ्रामक जानकारी के साथ भरे हुए निविदा प्रपत्र अमान्य हो सकते हैं।

1.5 निविदाकार को एक लिफाफे में दर प्रस्ताव संबंधी प्रपत्र, निविदाकार का विवरण, जिसमें उनके कार्य अनुभव का विवरण, संस्थान से अधिकृत होने का प्रमाण–पत्र तथा विगत 03 वर्षों का आयकर विवरणी तथा जी.एस.टी. रिटर्न प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण/दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। एक अन्य दूसरे लिफाफे में अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे–आर्डर/एफ.डी.आर. रख कर देना होगा। इस प्रकार उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रख कर **सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा** को संबोधित करते हुए लिफाफे के उपरी भाग पर **''स्मृति चिन्ह प्रदाय का कार्य''** अंकित कर एवं सीलबंद कर विधान सभा सचिवालय की सम्मेलन शाखा (कक्ष क्रमांक बी–41) में दिनांक 04 अगस्त, 2025 को अपरान्ह 03:00 बजे तक जमा करना होगा। विलंब से प्राप्त प्रस्ताव अमान्य हो जायेंगे।

1.6 मुहरबंद निविदाएं सोमवार दिनांक 04 अगस्त, 2025 को सायं 4:00 बजे छत्तीसगढ़ विधान सभा की क्रय समिति के समक्ष खोली जावेंगी। निविदा खोलने के समय निविदाकार स्वयं अथवा उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।

1.7 निविदा प्रस्ताव के साथ अमानत राशि रूपये 25,000/– (अक्षरी – पच्चीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे–आर्डर/एफ.डी.आर. संलग्न किया जाना होगा, जो पश्चात यथासमय वापसी योग्य होगी।

1.8 निविदाकार को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न एवं जीएसटी जमा किये जाने संबंधी आवश्यक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. <u>स्मृति चिन्ह हेतु मानदण्ड (Specifications)</u>

2.1 निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार को विधान सभा सचिवालय द्वारा स्वीकृत डिजाईन एवं नमूने के अनुरूप 24 कैरेट गोल्ड फॉईल से निर्मित 01 स्मृति चिन्ह का नमूना जो निविदाकार द्वारा तैयार कर प्रदाय किया जाना है भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

2.2 स्मृति चिन्ह के नमूने को भौतिक रूप से छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, बलौदा बाजार रोड़, रायपुर (छ.ग.) के कक्ष क्रमांक बी–41 ''सम्मेलन शाखा'' में किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अवलोकन किया जा सकता है।

2.3 स्वीकृत डिजाईन अनुसार तैयार किये जाने वाले स्मृति चिन्ह की न्यूनतम ऊँचाई 07 से.मी. तथा चौड़ाई 23 से.मी. होगी।

2.4 उपरोक्त प्रदाय किये जाने योग्य स्मृति चिन्हों की संख्या 140 होगी जिसे अधिक भी की जा सकती है।

2.5 निर्मित किये जाने वाले समस्त स्मृति चिन्ह स्वीकृत डिजाईन एवं साईज के अनुसार होंगे, जिन्हें एक आकर्षक व मजबूत ब्लू वेलवेट – कव्हर (बाहर एवं अंदर), क्लिप लॉक युक्त वुडन बॉक्स में रखकर देना होगा। प्रत्येक स्मृति चिन्ह पर मुद्रित किए जाने वाले मैटर को भी यथास्थान मुद्रित कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2.6 स्मृति चिन्ह तैयार करने में उसकी दर के साथ उसकी डिजाईन, उसकी पैकिंग व कार्य की उच्च गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। अतः निविदाकार से अपेक्षित है कि समस्त स्मृति चिन्ह स्वीकृत डिजाईन अनुसार ही आकर्षक व उच्च गुणवत्तायुक्त हो।

2.7 निविदा प्रस्ताव के साथ स्मृति चिन्ह का नमूना तैयार करते हुए वेलवेट बॉक्स में रखकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.8 विधान सभा सचिवालय द्वारा डिजाईन, स्पेसिफिकेशन एवं नमूने के अनुरूप ही स्मृति चिन्ह प्रदाय करना होगा। स्मृति चिन्ह का स्पेसिफिकेशन निम्नानुसार होना चाहिए –

Specification Type	**Specification Name**	**Specification Details**
Generic - Foil	Type of 24K Gold Plated Plaque	Rectangular
	Embossing / Engraving	Electroplating Lithography
	Embossing / Engraving content	As per buyer requirement
	Base Material of the 24K Gold Plated Plaque with frames	99.9% pure Nickel
	Plating Material	24K Gold
Material – Specifications	Frame moulding	Wooden/ Synthetic/ MDF
	24K Gold Foil plated Thickness	Up to 75 µm
	Gold Purity	24 Karat (with purity certificate)
24K Gold Plated Plaque with frames' detailed specifications	Gold Plating Thickness	Up to 1 µm
	Plating Technology	Electroplating Lithography
	24K Gold Plated Plaque with frames Dimensions	2. 21x10.5 CM 3. 27X15.5 CM 4. 33X 18 CM
Packaging	Box	Velvet covered

3. **स्मृति चिन्ह हेतु दर प्रस्ताव**

3.1 निविदाकार के द्वारा प्रति स्मृति चिन्ह हेतु दी जाने वाली दर में संपूर्ण व्यय यथा, स्मृति चिन्ह तैयार करने, आदेशित मैटर को स्मृति चिन्ह में मुद्रित करने, निर्धारित अनुसार बॉक्स में पैकिंग करने एवं रखने हेतु जूट बैग तथा उसे निर्धारित स्थान, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर तक डिलीवरी करने, समस्त टेक्सेस व अन्य संबंधित व्यय सम्मिलित होने चाहिए, अर्थात स्वीकृत दरों के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नहीं किया जावेगा। जी.एस.टी. एवं अन्य करों का उल्लेख पृथक से स्पष्ट रूप में अंकित किया जा सकेगा।

3.2 निविदाकार के द्वारा दी जानी वाली दरें आगामी 24 माह की अवधि तक अपरिवर्तनीय होंगी।

4. **अमानत राशि का विवरण**

4.1 निविदाकार को निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 25,000/- (अक्षरी - पच्चीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/एफ.डी.आर, जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर के पक्ष में जारी जमा करना अनिवार्य होगा। निविदाकार अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/एफ.डी.आर. को एक पृथक लिफाफे में रखकर निविदा प्रपत्रों के साथ विधान सभा सचिवालय में जमा करावेंगे।

4.2 बिना अमानत राशि संलग्न किये जमा की गई निविदाएं प्रथम दृष्टया अमान्य कर दी जावेंगी।

4.3 निविदाकार की निविदा को स्वीकार किये जाने के पश्चात्, निविदाकार द्वारा कार्य के निष्पादन से इंकार किये जाने की स्थिति में जमा की गई अमानत राशि राजसात योग्य होगी तथा राजसात की गई राशि के संबंध में निविदाकार का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

5. **सुरक्षा निधि**

5.1 सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई अमानत राशि 'सुरक्षा निधि' के रूप में सचिवालय में सुरक्षित रखी जावेगी जो स्मृति चिन्ह प्रदाय कार्य सफलतापूर्वक निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के उपरांत बिना किसी ब्याज के 01 माह के पश्चात् वापस की जावेगी।

6. <u>अन्य</u>

6.1. निविदाकार को निर्माता होना चाहिए।

6.2. निविदाकार को पिछले 5 वर्षों में अलग–अलग सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों को समान या समान उत्पाद की आपूर्ति की होगी। इसके प्रमाण के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

6.3. निविदाकार के पास प्लेटिंग के लिए लिक्विड गोल्ड–इमेजिंग की तकनीक होनी चाहिए।

6.4. निविदाकार को एमएसएमई और एमआईआई के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसके प्रमाण के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

6.5. निविदाकार के पास आईएसओ 9001 एवं 45001:2018 प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके प्रमाण के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

6.6. यदि निविदाकार द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को या विधान सभा को पूर्व में सदृश्य स्मृतिचिन्ह तैयार कर उपलब्ध कराये गये हों तो तत्संबंधी विवरण दिया जाना चाहिए एवं ऐसे निविदाकारों के प्रस्ताव पर प्राथमिकता से विचार किया जा सकता है।

6.7. निविदाकार के पक्ष में क्रय आदेश जारी किये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 दिनों के समयावधि में सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

6.8. सफल निविदाकार के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे सचिवालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा में ही समस्त स्मृति चिन्ह, वांछित अनुसार मुद्रित व पैंकिंग करते हुए सचिवालय को सुरक्षित उपलब्ध करायेंगे।

6.9. निर्धारित अवधि व समय पश्चात् प्राप्त निविदाएं स्वीकार योग्य नहीं होंगी।

6.10. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को यह अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को मान्य या अमान्य कर सकेंगे।

6.11. निविदाकार के द्वारा प्रदायित स्मृति चिन्ह सचिवालय द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार न होने या त्रुटिपूर्ण पाये जाने की दशा में सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को देय भुगतान में से एक निर्धारित राशि की कटौती कर लें।

6.12. यदि कोई स्मृति चिन्ह त्रुटिपूर्ण प्रदाय किया जाता है तो उसे बदलकर नवीन स्मृति चिन्ह देने के जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

6.13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

संचालक
छत्तीसगढ़ विधान सभा

मुझे, निविदा की उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं
फर्म का सील
मोबाइल नं. ....